

भाग-1

पेंशन / सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी / राशिकरण के लिए प्रार्थना-पत्र
(फार्म भरने से पूर्व भग 6 में उल्लेखित निर्देश पढ़ लिये जायें)

प्रेषक,

जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में,

श्री अवनीश कुमार जायसवाल
उप-निबंधक (एम)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् हैं मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण करने की कृपा करें।

- | | |
|---|--|
| 1- नाम | श्री सैयद वाइज़ मियां |
| 2- पिता / पति का नाम | श्री सैयद इज्जत अली |
| 3- सेवानिवृत्ति के पश्चात का पता :-
(क) (स्थायी निवास) | कस्बा व थाना सिरौली
जिला बरेली। |
| (ख) पत्र व्यवहार का पता | मकान संख्या-60
आकाशपुरम, विस्तार,
पीलीभीत बाईपास,
जिला बरेली। |
| 4- जन्म तिथि | 05 जनवरी 1961 |
| 5 - सेवा प्रारम्भ करने की तिथि | 31 अगस्त 1987 |
| 6 - सेवा निवृत्ति की तिथि | 31 जनवरी 2021 |
| 7- अन्तिम पद, जहाँ से सेवानिवृत्त हुए का पदनाम
कार्यालय एवं विभाग का नाम | जिला न्यायाधीश
अमरोहा |
| 8- मृत्यु होने की दशा में नामनी का नाम एवं पता जिसे
जीवनकालीन अवशेष का भुगतान किया जाय | सैय्यद ताहिर मियां |
| 9- पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका
राशिकरण अपेक्षित है। | 50 % |
| 10- भुगतान जिस कोषागार से आहरित करना चाहते हैं। | बरेली। |

Syran.

जनपद न्यायाधीश
अमरोहा
6-11-2020

11 - परिवार का विवरण

क्र० सं०	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित / अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1	सैयद ताहिर मियां	15.11.1966	भाई	विवाहित	मकान संख्या-60 आकाशपुरम, विस्तार, पीलीभीत बाईपास, जिला बरेली।

भवदीय / भवदीया,

Munna

(सरकारी सेवक के हस्ताक्षर)

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उर्पयुक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार के पेन्शन / सेवा ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी तथा पेन्शन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय। मैं भलीभांति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर उर्पयुक्त मदों में भुगतान की गयी धनराशियों नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियां वापिस करनी होगी। मैं वचन देता हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जानें में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूँगा।

Munna

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये
(यथा सम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए
जहां से सेवानिवृत्त हुए)

1- नाम - *विन्देश कमार*
पदनाम - *लेखा लिपिक*
पता - *जिला न्यायालय अमरोहा*

हस्ताक्षर

Munna
6/11/2020

2- नाम - *दीपक स्तेडी*
पदनाम - *सहायक लिपिक*
पता - *जिला न्यायालय अमरोहा*

हस्ताक्षर

Deepak Steady

Munna

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

जनपद न्यायाधीश

अमरोहा

Munna

प्रपत्र-2
अन्तिम देय प्रमाण-पत्र

प्रेषक,
जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में,
श्री अवनीश कुमार जयसवाल
उप निबंधक (विविध)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

पत्रांक दिनांक

विषय:- पेन्शन प्रपत्रों का अग्रसारण-

महोदय,

इस कार्यालय के श्री सैयद वाईज मियां, जिला न्यायाधीश अमरोहा के पेंशन प्रपत्र आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या.....दिनांक.....द्वारा स्वीकृतार्थ प्रपत्र अग्रसारित जा रहे हैं। उपरोक्त न्यायिक अधिकारी के द्वारा अधिवर्षिता पूर्ण होने पर नियत सेवानिवृत्ति दिनांक 31-01-2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

2- उपरोक्त अधिकारी के अन्तिम दस माह की वास्तविक परिलब्धियों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित सूचना के उपरान्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ है/निम्न परिवर्तन हुआ है-

अन्तिम दस माह की औसत परिलब्धियों का आगणन-
माह का नाम

परिलब्धियां

..... 01/2021 76450-00
12/2020.....76450-00
..... 11/2020 76450-00
... 10/2020 76450-00
09/2020.....76450-00
08/2020.. 76450-00
.....07/2020. 76450-00
..... 06/2020 76450-00
05/2020 74910-00
4/2020 74910-00

योग

1- औसत परिलब्धियां 76450X8
10
= 61,160
2- 74910X2
10
= 14982-00
कुल योग औसत परिलब्धियों = 61,160+ 14,982
= 76142-00

जनपद न्यायाधीश
अमरोहा
6-11-2020

3- इस कार्यालय के उपर्युक्त पत्र दिनांकनिल..... को उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध निम्नलिखित धनराशि शेष दर्शायी गयी थी:-

1- भवन निर्माण अग्रिम	रु0	X.....
2- मोटर कार / मोटर साइकिल / स्कूटर मोपेड अग्रिम	रु0	X.....
3- किसी अन्य प्रकार का अग्रिम	रु0	X.....
4- सरकारी आवास से सम्बन्धित धनराशि	रु0	X.....
5- आडिट के परिणाम स्वरूप देय धनराशि	रु0	X.....
6- विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप धनराशि	रु0	X.....
7- अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाये) के अर्न्तगत देय धनराशि	रु0	X.....

4- उपरोक्त सरकारी सेवक द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त के दिनांक तथा उपर्युक्त सभी धनराशि का भुगतान कर दिया गया है/ निम्न धनराशि शेष है:-

1- भवन निर्माण अग्रिम	रु0	X.....
2- मोटर कार / मोटर साइकिल / स्कूटर मोपेड अग्रिम	रु0	X.....
3- किसी अन्य प्रकार का अग्रिम	रु0	X.....
4- सरकारी आवास से सम्बन्धित धनराशि	रु0	X.....
5- आडिट के परिणाम स्वरूप देय धनराशि	रु0	X.....
6- विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप धनराशि	रु0	X.....
7- अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाये) के अर्न्तगत देय धनराशि	रु0	X.....

8- उपरोक्त सरकारी सेवक के विरुद्ध सेवानिवृत्ति के दिनांक को लम्बित न्यायिक / विभागीय जांच की स्थिति निम्नवत् है:-

5- उपरोक्त सरकारी सेवक को कार्यालय आदेश संख्याX..... दिनांकX..... जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गई है द्वारा रु0X धनराशि अन्तिम सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जा रही है/ चुकी है।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर 4 में सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनांक को देय कुल रु0X..... की कटौती करके तथा अन्तिम पेंशन एवं सेवानिवृत्त / मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करके अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय

(कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर)

संख्या

दिनांक

प्रतिलिपि:-

1- कोषाधिकारी बरेलीको इस आशय से प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर -4 के अनुसार कटौती करके (यदि ऐसी कटौती मुख्य लेखाधिकारी / निदेशक पेंशन के स्तर से सूचित न की गयी हो।) अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें। यदि उपर्युक्त अधिकारी / कर्मचारी द्वारा ऐसी धनराशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो तो अपने स्तर पर उसके सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके ग्रेच्युटी की शेष धनराशि अवमुक्त कर दें।

2- श्री सैयद वाईज मियां जिला न्यायाधीश अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित

भवदीय

Amran

(कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर)

जनपद न्यायाधीश
अमरोहा
6-11-2020

भाग-3
प्रार्थी का विवरण

1- सरकारी सेवक का नाम, पदनाम तथा कार्यालय का नाम श्री सैयद वाइज मियां
ज़िला न्यायाधीश
अमरोहा।

2- सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन/
मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु प्रार्थी का नाम तथा सरकारी सेवक से सम्बन्ध श्री सैय्यद ताहिर मियां
भाई

3- नमूने के हस्ताक्षर :-

(क) सरकारी सेवक के (उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे)

1- _____

2- _____

3- _____

(ख) सरकारी सेवक की पत्नी / पति या अन्य प्रार्थी के (उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में करवाये जायेंगे)

1- _____

2- _____

3- _____

4- यदि सरकारी सेवक या उसकी पत्नी / पति अथवा अन्य प्रार्थी अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो दाये अथवा बायें हाथ के अंगूठे एवं उंगलियों के निशान:-

(क) सरकारी सेवक के

(ख) पत्नी / पति या अन्य प्रार्थी के


5- व्यक्तिगत पहचान :-

(क) सरकारी सेवक की ऊंचाई

(ख) सरकारी सेवक की पहचान चिन्ह

181.61 Centimetres
Mole on Fore Head

6. सरक [Image] थ संयुक्त फोटो



विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष के दिनांक सहित हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम

भाग-4 सेवा का इतिहास

सरकारी सेवक का नामश्री सैयद वाईज मियां, जिला न्यायाधीश, अमरोहा।

क्रमांक है	कब से कब तक	पद का नाम जिस पर कार्य किया सहित अवकाश साधारण अवकाश, निलम्बन, प्रोन्नति, पदावनति, प्रतिनियुक्ति व्यवधान की अवधियों भी अंकित की जाये	स्तम्भ 3 में दर्शाई गई अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेन्शनयुक्त नहीं तो कारण सहित इसका दिया जाये।
1	2	3	4	5
01.	09-11-1987 - 05-01-1988	अति० मुसिफ मुरादाबाद।		
02.	09-01-1988 - 01.06.1990	अति० मुसिफ, चन्दौसी, मुरादाबाद।		
03.	02-06-1990 - 31-05-1993	न्यायिक मजि०, अलीगढ़।		
04.	01-06-1993 - 01-06-1994	अति० मुंसफि, देवबंद, सहारनपुर।		
05.	01-06-1994 - 14-01-1995	देवबंद, सहारनपुर।		
06.	15-01-1995 - 15.06.1995	सि०जज (जू०डि०) देवबंद, सहारनपुर।		
07-	19.06.1995 - 21.09.1996	न्यायिक मजिस्ट्रेट सीतापुर।		
08-	21.09.1996-05.06.1998	सि०जज (जू०डि०) सीतापुर।		
09-	09.06.1998-03.05.1999	सि०जज (जू०डि०), मुज्जफरनगर।		
10-	03.05.1995-05.06.1999	अति० मुख्य न्यायिक मजि०, मुज्जफरनगर।		
11-	05.06.1999 - 20.11.1999	अति सि०जज (सी०डि०) मुज्जफरनगर।		
12-	20.11.1999 - 12.06.2000	अति० मुख्य न्यायिक मजि० कैराना मुज्जफरनगर।		
13-	12.06.2000- 30.05.2001	सि०जज (सी०डि०), कैराना मुज्जफरनगर।		
14-	03.06.2001 - 06.08.2002	अति सि०जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम० आगरा।		
15-	08.08.2002 - 12.05.2003	मुख्य न्यायिक मजि०, आगरा।		
16-	17.05.2003- 19.07.2003	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भदोही स्थित ज्ञानपुर।		
17-	25.07.2003- 06.06.2006	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।		
18-	08.06.2006 - 06.06.2009	अपर जिला न्यायाधीश-बुलन्दशहर।		
19-	09.06.2009- 15.04.2011	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोन्डा।		
20-	18.04.2011-03.08.2012	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद।		
21-	05.08.2012-20.02.2014	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहाजहाँपुर।		
22-	20.02.2014-09.04.2014	स्पेशल जज, ई० सी.एक्ट शाहजहाँपुर।		
23-	11.04.2014 - 08.05.2017	न्यायिक सदस्य, व्यवसायिक आयकर अधिकरण।		
24-	10.05.2017-02.11.2017	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर।		
25-	05.11.2017-19.12.2017	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर, स्थित पडरौना।		
26-	21.12.2017- 09.12.2018	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर, स्थित पडरौना।		
27-	12.12.2018-02.07.2020	पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन, मेरठ।		
28-	04.07.2020 से निरन्तर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमरोहा।		

Amran

जनपद न्यायाधीश

अमरोहा

6-11-2020


भाग-5
(कार्यालयध्यक्ष के उपयोग हेतु)

1- सरकारी सेवक का नाम	श्री सैयद वाइज़ मियां		
2- सरकारी सेवक की जन्म तिथि 05- जनवरी-1961.....		
3- सरकारी सेवा में आने की तिथि	31 -अगस्त-1987		
4- सेवानिवृत्ति की तिथि	31- जनवरी-2021		
5- कुल अवधि (4-3)	वर्ष	मास	दिन
	33	05	00
6- सेवा जो पेंशन के लिए अनर्ह है, की अवधि			
7- अन्य सेवा यदि कोई हो जिससे पेंशन हेतु अर्ह माना गया है	निल		
8- पेंशन अनर्ह सेवा:-			
(क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा	:		
(ख) सेवा में विच्छेद	:	निल	
(ग) पेंशन के लिए अनर्ह निलम्बन की अवधि निलम्बन काल)	:	-	
(घ) कोई अन्य सेवा जो पेंशन हेतु अनर्ह हो	:	निल	
(कारण सहित उल्लेख किया जाये)	योग	निल	
9- पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि (5 +6+ 7 +8)	33 वर्ष	05 माह	00 दिन
10- पेंशन का प्रकार	67 छहमाहिया, अधिकतम 66 छहमाहियाँ		
11- सेवानिवृत्ति के दिनांक को मूल नियम 9 (21) (1)में परिभाषित वेतन	अधिवर्षिता पेंशन मूल वेतन -76,450-00		
12- औसत परिलब्धियों का आगणन : अन्तिम दस माह में प्राप्त परिलब्धियां			

धारित पद	दिनांक से तक	परिलब्धियां मूल नियम 9 (21) 1) परिभाषित	अन्य
पीठासीन अधिकारी भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नविस्थापन प्राधिकरण मेरठ	01/04/20 से	31.05.2020 $\frac{74,910 \times 02}{10}$ = 14982-00	
पीठासीन अधिकारी भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नविस्थापन प्राधिकरण मेरठ	01/06/20 से	30.06.2020 $\frac{76,450 \times 01}{10}$ = 7645-00	
ज़िला न्यायाधीश अमरोहा।	01/07/20 से	31.01.2021 $\frac{76450 \times 07}{10}$ = 53,515-00	
अन्तिम दस माह का औसत = 14,982+7,645+53,515 = 76,142			

13- पेंशन का आगणन:-	1- अन्तिम दस माह का औसत का आधा	$\frac{76,142-00}{2}$ =38071-00
	2- अन्तिम मूल वेतन का आधा-	$\frac{76,450}{2}$ = 38,225-00

पेंशन धारक को लाभप्रद पेंशन अन्तिम मूल वेतन का आधा 38,225-00


जनपद न्यायाधीश
अमरोहा
 6-11-2020

- 14- सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन
(पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य) निल
- 15- सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी का आगणन मूल वेतन 76,450 + +164% महगाई भत्ता 1,25,378x66
4
33,30,162-00 रूपए (तैतीस लाख तीस हजार एक सौ बासठ) मात्र
अपुनरीक्षित वेतनमान में सेवानिवृत्ति उपादान राशिकी अधिकतम सीमा 10,00,000-00 रूपए (दस लाख) मात्र
- 16- मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती निल
- 17- शुद्धसेवा सेवानिवृत्त उपादान धनराशि 10,00,000-00 रूपए (दस लाख) मात्र
- 18- पारिवारिक पेंशन का आगणन
(क) सामान्य दर 38,225-00
(ख) पारिवारिक पेंशन की बढी हुई दर आवेदन करने पर नियमानुसार देय
- 19- सेवानिवृत्ति पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का तिथि 01 फरवरी 2021
- 20- पेंशन का भाग अथवा धनराशि जिसका राशिकरण अनुमन्य है 50 प्रतिशत
- 21-राशिकृत मूल्य का आगणन $19,113 \times 8.194 \times 12$
 $= 18,79,343-00$ रूपए(अटठारह लाख उनयासी हजार तीन सौ तैतालीस) मात्र
- 22 राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि रू0 19,112-00
- 23- कोषागार का नाम जहां से पेन्शन, बरेली।
ग्रेच्युटी / राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेगे।
- 24- अन्तिम पेंशन / पारिवारिक पेंशन जी नहीं
(यदि कोई स्वीकृत की गई हो)
- 25- अन्तिम सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी जी नहीं (यदि कोई स्वीकृत की गई हो)
- 26- पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात दिनांक
(यदि तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिए) तक :-
- (1) भवन निर्माण में से रू0 X की धनराशि देना शेष है / कोई धनराशि शेष है।
- (2) मोटर कार / मोटर साईकिल / स्कूटर / मोपेड आदि अग्रिम में से रू0 X..... की कोई धनराशि शेष नहीं है।
- (3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रू0 X..... की कोई धनराशि शेष नहीं है।
- (4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक X..... तक रू0 X..... की धनराशि किराये के रू0 में अवशेष है / कोई धनराशि अवशेष नहीं है। तथा सेवानिवृत्तिके दिनांक X.....तक रू0X..... और देना शेष रह जायेगा।
- (5) आडिट के परिणामस्वरूप रू0 X..... की कोई धनराशि शेष नहीं है।
- (6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप रू0 X..... की कोई धनराशि शेष नहीं है।
- (7) अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाये) रू0 X..... की कोई धनराशि देय नहीं है।
- (8) श्री सैयद वाइज़ मियां के विरुद्ध कोई न्यायिक / वैभागीक अथवा प्रशासनिक जांच लम्बित नहीं है। (यदि लम्बित है त उसका संक्षिप्त विवरण जैसें यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुंचायी गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचरण के दोषी हो तो उसका विवरण दिया जाये)

(विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षर)

जनपद न्यायाधीश
अमरोहा
6-11-2020

Enclosure -1

This Deed of Indemnity, is made on the.....06.....day ofNovember.....2020.....corresponding to Saka Samvat the ...Friday...of by Sri Syed Wise Miya S/o Shri Syed Izzat Ali resident House No 60, AkashPuram Vistaar, PiliBheet Bypass Road Bareilly (Bounden) in Favour of the Governor of Uttar Pradesh (Called "the Governor") ...Called the District Judge

Whereas:

1. The Bounden above named was/is in the service of the Government of Uttar Pradesh (Called "the Governor") as (designation) inAs **District Judge**... (name of office).....**Amroha Judgeship**.....
2. The Bounden above named has retired / is due for retirement on 31.01.2021
3. A "No demand certificate" is required to be issued in favor of the Bounden by **Hon'ble High Court Allahabad** before sanction of pension, gratuity, etc. to the Bounden but the said certificate could not be issued so far and the scrutiny records for that purpose is likely further time.
4. The Government is willing to sanction pension and gratuity etc. to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond, being these presents, to indemnify and see harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any moneys found due against the Bounden within a period of two years from the date of retirement of the Bounden, Now this deed witness-

(1) In consideration of Government agreeing to sanction pension and gratuity, etc. to the bounded before issue of "No demand certificate" in his favor, the Bounden hereby convents with the Government that of two years form the date of retirement of the Bounden, to be due against him.

(2) Any amount due under this deed may, on the certificate of **Hon'ble High Court, Allahabad** which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from him as arrears of land revenue.

In witness to the above written bond and the condition thereof the Bounden has signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witness :


1-.Bintesh Kumar



Signed by :

Address Bill Clerk District Court Amroha.


2-...Deepak Rastogi



Bounden

Address. Asst. Account Clerk

Counter signed
Signature



जनपद न्यायाधीश
अमरोहा
6-11-2020